लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1918

30 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास

1918. श्रीमती पूनमबेन माडम:
डॉ.एम.के.विष्णु प्रसाद:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय जाधव:
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपड़ा उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों के क्षमता निर्माण के लिए शुरू किए गए कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार कितने वस्त्र प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) और समर्थ के तहत गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित लाभार्थियों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितनी राशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षण और कपड़ा मूल्य श्रृंखला के पारंपरिक और संगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए विभिन्न राज्यों के संगठनों के सहयोग से सरकारी एजेंसियों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): वस्त्र क्षेत्र, विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के सभी घटकों में प्रशिक्षित और कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता हेतु एक सशक्त मानव संसाधन निर्मित करने की दृष्टि से, वस्त्र मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से विभिन्न कौशल विकास योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। व्यापक एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के तहत, वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2017-18 के दौरान वस्त्र तथा अपैरल, पटसन, कताई, बुनाई, तकनीकी वस्त्र, रेशम उत्पादन, हथकरघा और हस्तशिल्प को शामिल करते हुए वस्त्र क्षेत्र के कई अलग-अलग खंडों में कुल 11.14 लाख व्यक्ति प्रशिक्षित हो चुके हैं जिनमें से 8.43 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं।

इसी को जारी रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए, संगठित वस्त्र और संबंधी क्षेत्रों में रोजगार निर्माण में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित और सहायता करने के लिए रोजगार उन्मुख राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का अनुसरण करने वाले कौशल कार्यक्रम को मांग के आधार पर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना – समर्थ के रूप में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कोविड-19 महामारी ने योजना के क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पैनल बनाए जाने की उचित प्रक्रिया और प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक सत्यापन के बाद विभिन्न क्रियान्वयन साझेदारों को लगभग 3.3 लाख लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आवंटन कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग): समर्थ के तहत निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं होता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत कार्यान्वयन साझेदारों को सीधे जारी की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समर्थ योजना के तहत आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट	किया गया व्यय
2018-19	200.00	16.99
2019-20	100.50	72.06
2020-21	150.00	90.70

(घ) से (ड): वर्ष 2018-19 के दौरान मंत्रालय ने, इस योजना के तहत साझेदारी हेतु सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। समर्थ के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में साझेदारी के लिए कुल 18 राज्य सरकार एजेंसियों ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं। महाराष्ट्र से किसी भी राज्य सरकार एजेंसी ने समर्थ के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया है। इसके अलावा, सरकार ने समर्थ के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वस्त्र मंत्रालय के 92 वस्त्र उद्योगों, 10 उद्योग संघों और 4 क्षेत्रीय संगठनों से साझेदारी की है।

अनुबंध-I

समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति का राज्य-वार विवरण

(दिनांक 26.07.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षणरत लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	764	458
2	असम	661	90
3	बिहार	252	150
4	छतीसगढ	342	200
5	दमन और दीव	478	141
6	दिल्ली	437	288
7	गुजरात	1291	1022
8	हरियाणा	1846	651
9	हिमाचल प्रदेश	28	0
10	जम्मू एवं कश्मीर	145	90
11	झारखंड	431	90
12	कर्नाटक	3862	2258
13	केरल	173	110
14	मध्य प्रदेश	637	279
15	महाराष्ट्र	1525	900
16	मणिपुर	190	0
17	मिजोरम	110	0
18	नागालैंड	133	0
19	उड़ीसा	422	115
20	पुदुचेरी	28	30
21	पंजाब	256	90
22	राजस्थान	954	450
23	सिक्किम	17	0
24	तमिलनाडु	6337	4114
25	तेलंगाना	914	296
26	त्रिपुरा	94	50
27	उत्तर प्रदेश	2274	1541
28	उत्तराखंड	86	70
29	पश्चिम बंगाल	269	150
	कुल योग	**24956**	**13633**

अनुबंध-II

समर्थ के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	31
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	137
4	बिहार	6
5	चंडीगढ़	1
6	छत्तीसगढ	12
7	दमन और दीव	4
8	दिल्ली	11
9	गुजरात	30
10	हरियाणा	27
11	हिमाचल प्रदेश	1
12	जम्मू और कश्मीर	5
13	झारखंड	21
14	कर्नाटक	247
15	केरल	5
16	मध्य प्रदेश	26
17	महाराष्ट्र	42
18	मणिपुरी	2
19	मिजोरम	4
20	नगालैंड	3
21	उड़ीसा	12
22	पुदुचेरी	2
23	पंजाब	6
24	राजस्थान	15
25	सिक्किम	2
26	तमिलनाडु	195
27	तेलंगाना	29
28	त्रिपुरा	9
29	उत्तर प्रदेश	228
30	उत्तराखंड	9
31	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	**1134**

***